न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

फर्द अहकाम

[illegible] बनाम मूला

[illegible]लय

[illegible] 854/2008

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
[illegible]/9/2022	पत्रावली प्रस्तुत। उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित। वाद का उपशमन होने के कारण वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।
	सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.10.12 11:44:06 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी: श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस.

वाद संख्या – 854 / 2008 वाद प्रस्तुति दिनांक – 21.12.1998

1. भैरू
2. रामपाल

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम अनोपपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.... वादीगण

बनाम

1. मूला पुत्र भूरा जाति जाट निवासी ग्राम अनोपपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. शंकर पुत्र रमसू जाति जाट, निवासी ग्राम अनोपपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

वाद बाबत दुरूस्ती, इन्द्राजात,घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं 9 सपठित धारा 151
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम

वाद का उपशमन हो जाने के कारण वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 27.09.2022 को जारी किया ।

आमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.10.12 11:44:06 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]	रुपये	पैसे	मुद्दालेह [illegible]	रुपये
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये		स्टाम्प अर्जी [illegible]	2 रुपये
[illegible]	2 रुपये		[illegible]	2 रुपये
[illegible]			[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	4 [illegible]

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस.

[illegible] संख्या 854 / 2008 [illegible] दिनांक 21.12.1998

1. [illegible]
2. [illegible]

[illegible] जाति जाट निवासी ग्राम [illegible] तहसील आमेर जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

[illegible] जाति जाट निवासी ग्राम [illegible] तहसील आमेर जिला जयपुर

[illegible] जाति जाट, निवासी ग्राम [illegible] तहसील आमेर जिला जयपुर

[illegible] सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर

...... प्रतिवादीगण

वाद बाबत दुरूस्ती, इन्द्राजात,घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं 9 सपठित धारा 151
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम

उपस्थिति :–

(1) श्री बंशीधर जाट – अधिवक्ता वादीगण

(2) श्री [illegible] – अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से।

दिनांक – 27.09.2022

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.10.12 11:44:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
[illegible]

प्रतिवादी संख्या 1 मूला के कायम मुकामान की ओर से जवाब प्रार्थना में अंकित किया है कि वादीगण का यह कथन की प्रार्थी अधिवक्ता से प्रार्थी का संपर्क नहीं हो सका इस कारण समय सीमा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। क्योकि वादीगण का अपने अधिवक्ता से लगातार संपर्क रहा है। अधिवक्ता वादी के पास वादी के फोन नम्बर रहे है। दोनो के पास फोन होना व्यवहारिक भी है। प्रतिवादी ने स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है जो प्रस्तुत वाद के कन्सोलिडेट किया जा चुका है जिसमें प्रतिवादी द्वारा कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र अलग से पेश करने की आवश्यकता नहीं है। कानूनन व न्यायनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लेने की समय सीमा बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है, जिस कारण संपूर्ण वाद अबेट हो चूका है। प्रार्थना पत्र अवधि बाहर पेश किया गया है इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व सम्पूर्ण वाद अबेट होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः कानूनन सेटसाईड नही किया जा सकता है। इसके अलावा प्रतिवादी के अधिवक्ता ने वादीगण के अधिवक्ता को प्रतिवादी संख्या 1 के स्वर्गवास की सूचना दे दी थी जिसका स्पष्ट अंकन न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10.03.2016 में है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लेने व अबेटमेण्ट को निरस्त करने हेतु दिनांक 24.10.2016 यानी 17 माह बाद प्रस्तुत किया है जो की अवधि बाहर है अतः सम्पूर्ण वाद स्वतः ही अबेट हो चुका है।

विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षों की [illegible] गई। जिन्होंने उन्हीं तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है। हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षों की बहस व न्यायिक दृष्टान्तो पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण के कथनानुसार प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 02.05.2015 को हो गई थी तथा वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लेने व अबेटमेण्ट को निरस्त करने हेतु आवेदन 1 वर्ष 5 माह बाद प्रस्तुत किया है जो कि अन्दर मियाद/अवधि प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी ने देरी से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु पर निर्धारित अवधि में [illegible] स्वतः उपशमित हो गया है। वादीगण ने पूर्ण जानकारी के उपरान्त [illegible] आवेदन प्रस्तुत किया है, उसमें ना तो आवेदन प्रस्तुत करने [illegible] हेतु कोई युक्तियुक्त एवं विश्वसनीय कारण अंकित [illegible] है। साथ ही प्रतिवादीगण की आपत्ति का खण्डन भी वादीगण द्वारा नहीं किया है। जहां विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर कोई आवेदन नहीं किया जाता है वहां आवेदन को गुणावगुण पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। देरी के कारण संतोषप्रद ना होने से वाद को स्वतः अबेट हुआ मानना आवश्यक है। यह कानून का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि [illegible] न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में किसी दूसरे पक्ष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वाद के

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.10.12 11:44:06 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]
आमेर म. जयपुर

उपशमन होने के परिणाम स्वरूप प्रतिवादी पक्ष के हित में कानूनी बिन्दू सृजित हो गया है। जिसे सरसरी तौर पर या विधिक प्रावधानों के विपरित उससे नहीं छीना जाना चाहिए। इस प्रकार वादी पक्ष द्वारा आदेश 22 नियम 4 व 9 का प्रार्थना पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं करने से वाद स्वतः उपशमित हो गया है। तथा जैसा कि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त 2010 (2) RRT 1437, 2017 (1) RRT 117, 2019 RPJ - 61 जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यदि वाद का उपशमन प्रतिवादी के विरूद्ध ही माना जाता है तो प्रतिवादी के वारिसो के रिकॉर्ड पर ना आने से सहस्वामित्व की विरोधाभासी डिक्रीया पारित होने की संभावना है। अतः सम्पूर्ण वाद अबेट होने योग्य है। ऐसी परिस्थितियो में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो के प्रकाश में प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गंभीर लापरवाही तथा वैद्यानिक प्रावधानों के विपरित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुये वाद का उपशमन हो जाने के कारण वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.10.12 11:44:06 IST
Reason: SelfAttested